166

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 36-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–टीकमगढ

हरबल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह ठाकुर निवासी चकरपुर, तहसील ओरछा जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

प्रेमनारायण पुत्र पुनुवा कुम्हार निवासी चकरपुर, तहसील ओरछा जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.......अनावेदक

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, ओरछा द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक प्रेमनारायण द्वारा ग्राम चकरपुर में स्थित भूमि सर्वे नं. 612/2/2, 612/2/3 एवं 620/635/2 के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक ओरछा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक उपरोक्त आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं प्रकरण क्रमांक 06/अ–12/2014–15 पंजीबद्ध किया जाकर सीमांकन कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही में आवेदक को विधिवत् रूप से सूचना पत्र जारी नहीं किया गया एवं आदेश दिनांक 11.11.2014 से खसरा नं. 612/2/2, 612/2/3 के अंश भाग रकवा 0.800 है. पर हरबल सिंह तथा ज्ञान सिंह का कब्जा बताया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश विधिवत् नहीं होने प्रथम दृष्टि में अपास्त किये जाने योग्य है अधीनस्थ/कार्यालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार :

1. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक ओरछा का आदेश, अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय/कार्यालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचनापत्र जारी किये बिना ही तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके पीठ पीछे तथाकथित सीमांकन कार्यवाही की गयी है। प्रकरण के आदेश में सीमांकन में कई आपत्ति कर्ताओ के नामों का उल्लेख है, किन्तु आवेदक को ना तो सूचना

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 36–एक/15 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल, ओरछा द्वारा प्रकरण कमांक 06/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11–11–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व की ग्राम चकरपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 6/2/2/2, 6/2/2/3, 620/635/2 रकबा कमशः 1.500, 1.200 एवं 2.554 हैक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 11–11–14 द्वारा सीमांकन किया गया तथा आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निरस्त कर सीमांकन स्वीकार किया गया । राजस्व निरीक्षक के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निगरानी आवेदन में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सूचनापत्र जारी किये तथा बिना विधिवत प्रकिया अपनाए सीमांकन किया गया है, जो निरस्ती योग्य है । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही विधिवत प्रकिया	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरांत संपादित की गई है । आवेदक को भी सूचनापत्र जारी किया गया था किंतु उनके द्वारा लेने से इंकार किया गया है अतः सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 17 के अनुसार सूचनापत्र तामील माना जायेगा । यह भी कहा गया कि आवेदक हरबल सिंह सीमांकन के समय स्थल पर उपस्थित था एवं सम्मुख ही पंचनामा, फील्ड बुक, नक्शा आदि तैयार किया गया था परंतु आवेदक द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह उचित है और उसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।	
	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अभिलेख में जो सूचनापत्र संलग्न है उसके पृष्ठ भाग पर कोटवार द्वारा यह टीप अंकित की गई है कि सूचनापत्र लेने से इंकार किया गया ऐसी स्थिति में यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अन्य व्यथित पक्षकारों की आपत्ति को सुनने के उपरांत ही सीमांकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है । अतः सीमांकन निरस्त करने का कोई आधार नहीं है । न्यायदृष्टांत 1978 आर0एन0 393 परमानंद बनाम रानीदेवी में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी सीमांकन से कोई पक्षकार दुखित है तो वह खुद सीयमांयकन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।	
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 36–एक/15 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है । आवेदक को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि वह चाहे तो सीमांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधिवत की जाये । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	